

# कार्यालय इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर (म0प्र0)

(शासन द्वारा स्वाशासी घोषित)

विक्रमादित्य योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के निर्धन मेधावी छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा पदाय करने हेतु  
(छात्र/छात्रा द्वारा भरा जाये विवरण ) (नवीन/नवीनीकरण)

आवेदन पत्र (वर्ष 2017–18)

1. छात्र/छात्रा का नाम .....	
2. पिता/अभिभावक का नाम .....	
3. मूल निवास का स्थाई पता .....	
4. वर्तमान पता .....	
5. बारहवीं/डिप्लोमा अंतिम वर्ष की परीक्षा प्राप्तकों का प्रतिशत .....	
6. शासनमहाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशासनमहाविद्यालय का नाम जिसमें प्रवेश लिया हो .....	
7. संकाय का नाम एवं संकाय का विषय .....	
8. मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र सत्यापित छाया प्रति .....	
9. सक्षम अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जो समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 54,000/- रु0 से कम का हो प्रमाण पत्र।	
10. शिक्षण शुल्क की राशि अंकों में .....(शब्दों में).....	
11. जन्म तिथि अंकों में .....(शब्दों में).....	
12. आधार कार्ड नम्बर .....	
13. छात्र/छात्रा का आधार कार्ड एवं परिवार की समग्र आई.डी. की .....	
14. वर्तमान सत्र में प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति.....	
15. ब्रांच/सेमेस्टर/एनरोलमेंट नम्बर .....	
16. छात्र/छात्रा का मोबाइल नम्बर .....पिता/अभिभावक.....	
17. यदि छात्रवृत्ति मिल रही है तो योजना का नाम एवं प्राप्त राशि (पूर्व वर्ष की).....	
18. पिता या अभिभावक का व्यवसाय .....	
19. परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय .....	
20. बैंक खाता क्रमांक स्वयं के नाम का ..... आईएफएससी कोड.....	
21. बैंक का नाम एवं पता ..... बांच कोड .....	
22. छात्र/छात्रा स्वयं की ई मेल आई डी .....	

- नोट :— फोटोग्राफ आवेदन पत्र भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग सफेद होना चाहिये। पोलोराइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। आवेदक का फोटोग्राफ

सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें आवेदक के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। एवं विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाता से लिंक कराना अनिवार्य है।

### (घोषणा पत्र)

मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण सही है मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दिया गया कोई विवरण ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका निर्णय अंतिम होगा गलत पाया गया तो उसका निर्णय मेरे लिये अंतिम और बंधनकारी होगा और मेरे द्वारा प्राप्त की गई पूर्ण छात्रवृत्ति की रकम या अधिक भुगतान की कोई छात्रवृत्ति रकम मुझसे मांगी जाने पर वापिस करूगा/करूगी तथा ऐसा न किये जाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी यह रकम ऐसे किसी भी तरीके से जो उचित समझे वसूल कर सकेगा।

दिनांक / / 2016

छात्र/छात्रा का नाम एवं हस्ताक्षर .....

स्थान .....

पिता/अभिभावक का नाम एवं हस्ताक्षर .....

### संस्था का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा श्री/श्रीमति/कु0 .....  
.....पिता/अभिभावक एवं पति श्री .....इस  
महाविद्यालय इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर में स्नातक .....  
प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं अंतिम वर्ष में अध्यनरत है इन्होने हायर सेकेण्डरी/डिप्लोमा अंतिम वर्ष  
परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किये हैं तथा सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये आय प्रमाण  
पत्र के अनुसार इनके अभिभावक की वार्षिक आय 54,000/- रुपये से कम है तथा इनसे कुल  
वार्षिक शिक्षण शुल्क रुपये ..... जमा करा लिया गया है/जमा कराया जावेगा।

(प्रभारी छात्रवृत्ति)

इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय  
महाविद्यालय सागर म0प्र0

कार्यालय प्रमुख संस्था के हस्ताक्षर एवं सील

इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग  
सागर म0प्र0

नोट :— फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करें।

1. आय प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
2. 10 रु0 के स्टाम्प पर आय की नोटरी द्वारा शपथ पत्र पिता के हस्ताक्षर द्वारा मूल प्रति।
3. मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
4. दसवीं/बारहवीं एवं डिप्लोमा अंतिम वर्ष की सत्यापित छायाप्रति।
5. आधार कार्ड / बोटर कार्ड की छाया प्रति।
6. परिवार समग्र आई डी की सत्यापित छायाप्रति।
7. शिक्षण शुल्क (फीस रसीद) की छाया प्रति।
8. बैंक पास बुक की छाया प्रति/आई.एफ.सी.कोड सहित।
9. एडवीसन रसीद/एडमिट कार्ड की सत्यापित छाया प्रति।

## अन्य महाविद्यालय तथा अन्य किसी छात्रवृत्ति योजना में आवेदन न करने का प्रमाण—पत्र 2017–18

मैं ..... रोल नं. ....

पिता का नाम ..... सेमेस्टर / वर्ष ..... ब्रांच .....

का नियमित छात्र/छात्रा हूँ। मैं प्रमाणित करता करती हूँ कि मैंने .....  
छात्रवृत्ति योजना के अतिरिक्त इस महाविद्यालय में किसी भी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति तथा अन्य  
किसी महाविद्यालय/संस्था में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं किया है। किसी प्रकार  
की गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर महाविद्यालय मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता  
है।

दिनांक ..... हस्ताक्षर छात्र/छात्रा .....

## अध्ययनरत् कक्षा में उपस्थिति का प्रमाण—पत्र 2017–18

प्रमाणित किया जाता है, कि छात्र/छात्रा .....

पिता का नाम श्री ..... कक्षा/सेमेस्टर ..... ब्रांच .....

की संबंधित कक्षा में नियमितरूप से उपस्थित हो रहा है। छात्रवृत्ति के नियमानुसार छात्र की  
औसत उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक हैं, आज दिनांक ..... को छात्र की  
उपस्थिति .....% (प्रतिशत) हैं।

दिनांक ..... हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष .....

उपरोक्त छात्रा/छात्रा को ..... के आधार पर उपस्थिति में  
..... प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए छात्रवृत्ति आवेदन अग्रेषित करने की  
अनुमति प्रदान की जाती हैं।

प्राचार्य  
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय  
सागर (म. प्र.)

## // विक्रमादित्य योजना संबंधी सूचना //

संस्था में वर्ष 2017–18 में बी.ई. प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में (नवीन/नवीनीकरण प्रवेशित जो छात्र/छात्राय मध्यप्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याणर्थ छात्रवृत्ति योजना एवं विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा/छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। एवं पूर्व सत्र में उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान सत्र में नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ छात्रवृत्ति शाखा/नोडल सेन्टर में आवश्यक रूप से जमा कर दे। ताकि आवश्यक राशि का प्रस्ताव तैयार कर संचालनालय तकनीकी शिक्षा भोपाल की ओर भेजा जा सके।

अतः आवेदन पत्र बिलम्ब से प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा इसकी जबावदारी संबंधित छात्र/छात्रा की होगी।

सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति/शिष्यावृत्ति योजना हेतु पात्रता की शर्तें	सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों के लिये विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना हेतु पात्रता की शर्तें
<ol style="list-style-type: none"> <li>सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र/छात्राय जो कि मध्यप्रदेश वास्तविक मूल निवासी हो।</li> <li>जिनके माता—पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 75,000/- से अधिक न हो।</li> <li>उनके परिवार के स्वामित्व में 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो एवं अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 80 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हुआ हो।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र/छात्राये जो कि मध्यप्रदेश के वास्तविक मूल निवासी हो।</li> <li>जिनके माता—पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 54,000/- से अधिक न हो।</li> <li>बारहवीं परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हुआ हो।</li> </ol>

उपरोक्त योजना हेतु पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

### छात्र/छात्राय निम्न दस्तावेज फार्म के साथ संलग्न करें।

- आवेदन पत्र के साथ एक फोटो।
- मध्यप्रदेश का निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
- वर्ष 2017–18 के लिये समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय/भूमि स्वामित्य का प्रमाण—पत्र एवं पिता/अभिभावक का आय प्रमाण—पत्र संबंधी नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।
- हाइ स्कूल एवं बारहवीं की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति।
- नवीनीकरण के लिये पिछले समस्त सेमेस्टर पास की अंकसूची सत्यापित छाया प्रति।
- डिप्लोमा अंतिम वर्ष की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति।
- छात्र/छात्रा के नाम बैंक को खाता नं. आईएफएससी कोड एवं पास बुक जो आधार से लिंक हो कि छायाप्रति।
- छात्र/छात्रा के स्वयं के नाम का आधारकार्ड नं/आधार एनरोलमेंटनंकी छाया प्रति।
- फीस रसीद की छाया प्रति।
- प्रथम वर्ष के लिये एडमीशन रसीद की छाया प्रति।

### नोट :-

- यदि संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा उपरोक्त वार्षित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज त्रुटिपूर्ण अथवा अप्राप्त रहता है तो प्रथम दृष्टया उनका छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑन लाइन प्रक्रिया में निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिये छात्र/छात्रायें पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार होंगे। छात्र/छात्राएँ अपना मोबाइल नं. एवं ई—मेल आईडी आवश्यक लिखे ताकि छात्रवृत्ति फार्म में कोई कमी या त्रुटि होने पर आपको सूचित किया जा सके।
- समस्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाता से लिंक कराना अनिवार्य है।
- समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि पात्र योजनाओं का लाभ लेने वाले विद्यार्थी यदि किसी भी प्रकार की कोई भी गलत जानकारी देते पाये जाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही की जायेगी समस्त जबावदारी स्वयं की होगी।
- किसी भी छात्र को एक पाठक्रम के लिए कोई एक छात्रवृत्ति दी जा सकती है। अतः ऐसे छात्र जो पूर्व में किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं उन्हें इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।